

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

कमांक:-प.2(9193)सूप्रौ/संस्था/2020/ML~4262

जयपुर, दिनांक 08/02/24

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के अधोलिखित अधिकारियों को वर्ष 2024-25 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	पदस्थापन विभाग	जन्म दिनांक	कार्यग्रहण दिनांक	सेवानिवृत्त दिनांक
1.	श्री राजेश गुप्ता, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	01.08.1964	29.11.1989	31.07.2024
2.	श्री अजय शर्मा पुत्र स्व. श्री शिव दत्त शर्मा, तकनीकी निदेशक	वाणिज्यिक कर विभाग मुख्यालय, जयपुर	06.08.1964	24.03.1990	31.08.2024
3.	श्री विनोद कुमार ठाडा, अतिरिक्त निदेशक	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	25.10.1964	27.09.1995	31.10.2024
4.	श्री तरुण यादव, तकनीकी निदेशक	उद्योग विभाग, जयपुर	01.12.1964	16.12.1989	30.11.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

उक्त आदेश विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक प.2 (9193)/सूप्रौ/संस्था/2020/00059/2024 दिनांक 05.01.2024 के अंशिक सशोधन मे (अधिकारियों के पदोन्नत होने से नवीन पदनाम के साथ) जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से

-s.d-
(इन्द्रजीत सिंह)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज. जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष. संबंधित विभाग।
5. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संबंधित जिला।
6. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, संबंधित जिला।
7. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट सेल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी।
9. लेखा शाखा, संबंधित विभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष